

कार्यालय: मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक 1472 / नि०शा० / 2022-23

दिनांक 27 जुलाई, 2022

शुद्धि-पत्र

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) हेतु विगत वर्षों के अप्रयुक्त/अवशेष केन्द्रांश (पुरुष वर्ग+महिला वर्ग+ अनुसूचित जाति वर्ग) के सापेक्ष कार्यालय आदेश संख्या- 1458 / नि०शा० / 2022-23 दिनांक 25.07.2022 के द्वारा पुरुष वर्ग हेतु रू० 2095.4396 लाख, महिला वर्ग हेतु रू० 2499.9203 लाख तथा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु रू० 542.4956 लाख की धनराशि को व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त कार्यालय आदेश के बिन्दु संख्या- 2 (महिला वर्ग) एवं 3 (अनुसूचित जाति वर्ग) में त्रुटिवश क्रमशः महिला व अनुसूचित जाति के स्थान पर पुरुष अंकित हो गया है।

कार्यालय आदेश संख्या- 1458 / नि०शा० / 2022-23 दिनांक 25.07.2022 में बिन्दु संख्या- 2 में पुरुष एवं बिन्दु संख्या- 3 में पुरुष के स्थान पर क्रमशः बिन्दु संख्या- 2 में महिला व बिन्दु संख्या- 3 में अनुसूचित जाति पढ़ा जाय। कार्यालय आदेश संख्या- 1458 / नि०शा० / 2022-23 दिनांक 25.07.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

89/-

(डा० सरोज कुमार)

निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक 1472 / नि०शा० / 2022-23 दिनांक- उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 समस्त उप निदेशक मत्स्य उ०प्र०।
- 2 समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी म०पा०वि०अ० उ०प्र०।
- 3 वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
- 4 उप निदेशक मत्स्य (नियोजन/मुख्यालय)

(डा० सरोज कुमार)

निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ।

K